"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-0..."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अगस्त 2008—श्रावण 24, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा. प्र. से. (1993) आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नियंत्रक, नापतौल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से. (1994) आयुक्त, लोक शिक्षण एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को केवल पंजीयक, सहकारी संस्थाए के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री विकास शील, भा. प्र. से. (1994) सचिव, कृषि विभाग एवं आयुक्त, गन्ना को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-7-2008 के द्वारा श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से. (1995) की पदस्थापना संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर की गयी है.

2. उक्त पद पर श्री गौरव द्विवेदी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री एस. आर. ब्राहम्णे, भा. प्र. से. (2000), सचिव, लोक आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग/सरगुजा संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

अपर आयुक्त का मुख्यालय बिलासपुर रहेगा तथा वे सरगुजा संभाग के प्रकरणों का निराकरण कैम्प सरगुजा (अंबिकापुर) में करेंगे.

2. श्री रामसिंह ठाकुर, भा. प्र. से. (2000), अपर कलेक्टर, गरियाबंद, जिला-रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, रायपुर संभाग/बस्तर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

अपर आयुक्त का मुख्यालय रायपुर रहेगा तथा वे बस्तर संभाग के प्रकरणों का निराकरण कैम्प बस्तर (जगदलपुर) में करेंगे.

3. श्री एस. आर. ब्राहम्णे एवं श्री रामसिंह ठाकुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग एवं अपर आयुक्त, रायपुर संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क, वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं आयुक्त, जनसम्पर्क को केवल सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

अध्यक्ष, नारडा का कार्य श्री पी. जाय उम्मेन ही देखते रहेंगे.

2. श्री पी. रमेश कुमार, भा. प्र. से. (WB:1986) आयुक्त सह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा एवं सचिव महिला बाल विकास

विभाग को केवल सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुये, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से. (1990) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

क्रमांक ई 1-5/2006/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना
1.	श्री अंकित आनंद	सहायक कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा
2.	सुश्री श्रुति सिंह	अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा, जिला दुर्ग
3.	श्री पी. दयानंद	सहायक कलेक्टर, जिला सरगुजा
4.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर, जिला बिलासपुर
5.	श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही.	सहायक कलेक्टर, जिला राजनांदगांव
6.	श्री भूवनेश यादव	अनुविभागीय अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर
7.	श्री एस. भारती दासन.	सहायक कलेक्टर, जिला कबीरधाम (कवर्धा)

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2008

क्रमांक ई-1-1/2008/एक/2.—श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. (सी. जी.-1973) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, दिनांक 31-07-2008 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पद पर श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से. (सी. जी.-1977), अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 26-7-2008 से 28-07-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 9-4/07/1-8.—श्रीमती दर्शनिता बी. अहलूवालिया, प्रबन्ध संचालक, भोरमदेव शक्कर कारखाना, जिला कबीरधाम (छ. ग.) की सेवायें सहकारिता विभाग से वापस लेते हुए इन्हें मिशन डायरेक्टर, N. R. H. M. के पद पर पदस्थ करने हेतु इनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपी जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/8/2008/1/2.—श्री के. सी. देवसेनापति, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर को दिनांक 12-06-2008 से 13-6-2008 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री देवसेनापति को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देवसेनापति, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2.—श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से., उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छ. ग., रायपुर को दिनांक 20-05-2008 से 20-06-2008 (32 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17, 18 एवं 19 मई, 2008 तथा दिनांक 21 एवं 22 जून, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार, आगामी आदेश तक उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छ. ग., रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बेहार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेहार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/32/2004/1/2.—श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक 28-07-2008 से 14-08-2008 (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16 एवं 17 अगस्त, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बिहारी आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बिहारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बिहारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 9-9/2008/1-8.—श्री शिवराज सिंह, भाप्रसे, (सेवानिवृत्त) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य के विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य शासन का सलाहकार नियुक्त किया जाता है.

2. श्री शिवराज सिंह के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं राज्य शासन के मुख्य सचिव के समतुल्य रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2008

क्रमांक पार्ट एफ 2-2/2008/1-8.—श्री रंगलाल लिखाटे, अवर सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. एल. आदिले, अवर सचिव, छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ अवर सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2008

क्रमांक 6438/डी-2002/21-ब/छ. ग./2008.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9994/डी-4291/21-ब/छ. ग./07, दिनांक 27-11-2007 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी

गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :—

अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या (4)
1.	जगदलपुर	कोंडागांव	1
2.	कांकेर	भानुप्रतापपुर	1
3.	बिलासपुर	बिलासपुर	2
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
4.	जांजगीर	जांजगीर	1
5.	कोरबा	कोरबा	1
6.	दुर्ग	दुर्ग	5
		बालोद	1
		बेमेतरा	1
7.	रायगढ़	रायगढ़	2
8.	रायपुर	रायपुर	6
9.	धमतरी	धमतरी	1
10.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1
11.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर	2
		सूरजपुर	1
		प्रतापपुर	1
		रामानुजगंज	1
12.	कोरिया (बैकुंठपुर)	मनेन्द्रगढ़	1
		योग	31

Raipur, the 8th July 2008

No. 6438/D-2002/21-B/C. G./2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (No.19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 9994/D-4291/21-B/C. G./2007, Raipur, dated 27-11-2007 of this department, the State Government, on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, hereby constitutes and establishes "Fast Track Courts" specified in

Schedule below with effect from the date of the Presiding Judge take over charge at these places :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Jagdalpur	Kondagaon	1
2.	Kanker	Bhanupratappur	1
3.	Bilaspur	Bilaspur	2
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
4.	Janjgir	Janjgir	1
5.	Korba	Korba	1
6.	Durg	Durg	5
		Balod	1
		Bemetra	1
7.	Raigarh	Raigarh	2
8.	Raipur	Raipur	6
9.	Dhamtari	Dhamtari	1
10.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	1
11.	Sarguja (Ambikapur)	Ambikapur	2
		Surajpur	1
		Pratappur	1
		Ramanujganj	1
12.	Koriya (Baikunthpur)	Manendragarh	1
		Total	**31**

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2008

क्र. 7393/2283/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अरूण कुमार केशरवानी, अधिवक्ता को कैम्प कोर्ट सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के लिये पुनः दिनांक 20-02-08 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, अतिरिक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2008

क्रमांक एफ-21/26/13/2/ऊर्जा/08/1629.—चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना, 2006 के अंतर्गत राज्य में पर्यटन इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है.

अतएव छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा-3बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा पांचवी अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित नवीन पर्यटन इकाईयों को व्यवसायिक संचालन प्रारंभ होने की दिनांक से 10 वर्ष तक की अवधि तक विद्युत शुल्क के भुगतान से शत-प्रतिशत छूट प्रदान करता है.

उपरोक्तानुसार विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक व्यक्ति/संस्था को छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यटन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ-साथ पर्यटन इकाई में स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने की पुष्टि में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र सहित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा. उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट की पात्रता हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा तथा पात्रता के संबंध में मुख्य विद्युत निरीक्षकालय का निर्णय अंतिम होगा. आवेदक को मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की शर्तों के अधीन विद्युत शुल्क में भुगतान में छूट की पात्रता रहेगी.

छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना, 2006 में प्रावधानित शर्तों के उल्लंघन के पाये जाने पर छूट की पात्रता स्वमेव समाप्त हो जायेगी तथा पात्रता के समाप्त होने की अवस्था में प्रचलित दरों के आधार पर विद्युत शुल्क के भगुतान हेतु मांग जारी की जायेगी. शासन द्वारा जारी मांग के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान न किये जाने पर बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया हेतु लागू प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी.

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006 के लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 01-04-2006 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होकर दिनांक 31-3-2016 तक प्रभावशील रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

क्रमांक 1574/2214/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-598/2214/32/2007 दिनांक 26-03-2008 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दादरखुर्द	595	5.75 एकड़ (2.327 हे.)	कृषि	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

क्रमांक/1577/843/32/2003.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोण्डागांव, निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

कोण्डागांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कोण्डागांव तहसील के ग्राम पलारी (प. ह. नं. 17) की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कोण्डागांव नगर पालिका सीमा तथा कोण्डागांव तहसील के ग्राम पलारी (प. ह. नं. 17) की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कोण्डागांव नगर पालिका सीमा की दक्षिणी सीमा तथा कोण्डागांव तहसील के ग्राम चिखलपुटी (प. ह. नं. 18 अ) की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कोण्डागांव नगर पालिका सीमा की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

क्रमांक/1580/2901/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत अंबिकापुर, विकास योजना 2021 का अनुमोदन करती है. उक्त विकास योजना अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है.

अंबिकापुर विकास योजना 2021 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर (छ. ग.)
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर (छ. ग.)
3. कलेक्टर, अंबिकापुर (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की उपधारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से अंबिकापुर विकास योजना 2021 प्रभावशील होगी.

Raipur, the 1st August 2008

No. 1580/2901/32/07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Ambikapur Development Plan, 2021 submitted by Directorate Town & Country Planning, Raipur under sub-section (3) of Section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for general information as required by sub-section (4) of Section 19 of the said Adhiniyam.

The copy of the approved Ambikapur Development Plan 2021 shall be available during office hours for inspection in the following offices :

1. Asstt. Director, Town & Country Planning, Ambikapur (C. G.)
2. Commissioner, Municipal Corporation, Ambikapur (C. G.)
3. Collector, Ambikapur (C. G.)

The Ambikapur, Development Plan 2021 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of Section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक 065/एफ-8/32/2006.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई-01-01/2008/एक/2 दिनांक 04-08-2008 के द्वारा श्री पी. नरसिम्हा राव, भा. व. से. (1987) की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर आवास एवं पर्यावरण विभाग को सदस्य सचिव, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के पद पर स्थापना हेतु सौंपी गई है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्र. 6) की धारा 4 (2) (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री पी. नरसिम्हा राव, भा. व. से. (1987) को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सदस्य सचिव, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के रूप में नियुक्त करता है. इस आदेश के फलस्वरूप श्री के. सुब्रमणियम, सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, सदस्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

क्र./एफ 1-125/वस/2001.—छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व. सं./2001, रायपुर दिनांक 20 जुलाई 2001 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा कोरबा जिले में कोरबा वनमंडल के उपवनमंडलों/परिक्षेत्रों का पुनर्गठन

निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम एवं मुख्यालय	उपवनमंडल का नाम एवं मुख्यालय	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी. में	परिक्षेत्र का नाम एवं मुख्यालय	क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी. में)				सम्मिलित सहायक परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र सीमा	उपवनमंडल की सीमा
							आ. वन	सं. वन	असी. वन	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	बिलासपुर	कोरबा	कोरबा	उत्तर कोरबा मु. कोरबा	890.196	कोरबा मु. कोरबा	–	123.866	39.137	163.003	कोरबा, रजगामार, कोरकोमा, भैंसमा.	उत्तर: बाल्को परिक्षेत्र की सीमा. पूर्व : पसरखेत परिक्षेत्र की सीमा. दक्षिण : करतला परिक्षेत्र की सीमा. पश्चिम : कटघोरा वनमंडल की पूर्वी सीमा.	उत्तर : सरगुजा जिले की सीमा. पूर्व : उपवनमंडल दक्षिण कोरबा की सीमा. दक्षिण : उपवनमंडल दक्षिण कोरबा की सीमा. पश्चिम : कटघोरा वनमंडल/ सरगुजा जिले की सीमा.
						बाल्को मु. बाल्को		223.111	52.885	275.996	बाल्को, दोन्द्रो, अजगर-बहार-उत्तर, अजगर-बहार-दक्षिण.	उत्तर : कटघोरा वनमंडल एवं लेमरू परिक्षेत्र की सीमा. पूर्व : प्रस्तावित पसरखेत वन परिक्षेत्र एवं कोरबा परिक्षेत्र की सीमा. दक्षिण : कोरबा परिक्षेत्र की सीमा. पश्चिम : हसदेव नदी एवं कटघोरा वनमंडल की सीमा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						लेमरू मु. लेमरू	–	402.083	49.114	451.197	लेमरू, गढ़, बढ़गांव, विमलता	उत्तर : कटघोरा वनमंडल/ जिला सरगुजा की सीमा. पूर्व : जिला सरगुजा एवं कुदमुरा परिक्षेत्र की सीमा. दक्षिण : कुदमुरा परिक्षेत्र/ प्रस्तावित पसरखेत परिक्षेत्र एवं बाल्को परिक्षेत्र की सीमा. पश्चिम : बालको परिक्षेत्र एवं कटघोरा वनमंडल की सीमा.	
				योग	890.196		–	749.060	141.136	890.196			
1.	बिलासपुर	कोरबा	कोरबा	दक्षिण कोरबा मु. कोरबा	1246.274	करतला मुख्यालय करतला	–	127.759	316.143	443.902	करतला, रामपुर, बरपाली, नोनबिर्रा	उत्तर : कटघोरा वनमंडल/ कोरबा परिक्षेत्र, कुदमुरा परिक्षेत्र की सीमा. पूर्व : जिला रायगढ़ की सीमा. दक्षिण : जिला जांजगीर-चांपा की सीमा. पश्चिम : जिला जांजगीर-चांपा एवं कटघोरा वनमंडल की सीमा.	उत्तर : उपवनमंडल उत्तर कोरबा/सरगुजा जिले की सीमा. पूर्व : रायगढ़ जिले की सीमा. दक्षिण : जांजगीर-चांपा जिले की सीमा. पश्चिम : उपवनमंडल उत्तर कोरबा की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						कुदमुरा मुख्यालय कुदमुरा	–	189.866	290.821	480.687	कुदमुरा, लबेद, श्यांग	उत्तर : सरगुजा जिले की दक्षिणी सीमा. पूर्व : रायगढ़ जिले की पश्चिमी सीमा. दक्षिण : करतला विकासखंड की उत्तरी सीमा. पश्चिम : प्रस्तावित पसरखेत परिक्षेत्र की सीमा.	
						पसरखेत मुख्यालय पसरखेत	–	218.526	103.159	321.685	पसरखेत, बासीन, केराकछार	उत्तर : लेमरू परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा. पूर्व : कुदमुरा परिक्षेत्र की सीमा. दक्षिण : कुदमुरा एवं करतला परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा. पश्चिम : कोरबा एवं बाल्को परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा.	
						कुदमुरा उत्पादन	–	–	–	–	–		
				योग	**1246.274**		–	**536.151**	**710.123**	**1246.274**			
				कुल योग	**2136.470**		–	**1285.211**	**851.259**	**2136.470**			

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 3-1/2001/10-2.—विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-07-2007 के तारतम्य में अनुक्रमांक (1) एवं 2 में, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सदस्यों का नामांकन एतद्द्वारा 2 वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :—

1. **वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि :—**

(i) श्री पी. के. सेन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
रणथम्बोर टायगर फाउण्डेशन.

2. **ख्यातिप्राप्त पारिस्थितिकीविद्, पर्यावरणविद् एवं संरक्षणविदों में से राज्य शासन द्वारा नामित व्यक्ति :—**

(i) श्री माईक पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
अर्थ मेटर्स फाउण्डेशन C-10 चिरान एनक्लेव- नई दिल्ली.

3. बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिये राज्य शासन के ग्रुप "ए" के अधिकारियों को देय दरों पर यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

क्र./एफ 1-125/वस/2001.—छ. ग. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-125/व. सं./2001 दिनांक 20 जुलाई 2001 द्वारा अधिसूचित बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडलों एवं उनके अधीनस्थ उप वनमंडलों की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन

द्वारा वनमंडलों एवं उप वनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

वन वृत्त	जिले का नाम	वनमंडल का नाम एवं मुख्यालय	उप वनमंडल का नाम एवं मुख्यालय	उपवनमंडल का क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)	सम्मिलित परिक्षेत्र एवं काष्ठागार एवं मुख्यालय	उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण	वनमंडल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर, मुख्यालय-बिलासपुर	(1) बिलासपुर, मुख्यालय-बिलासपुर	481.125	(1) बिलासपुर (बिलासपुर)	उत्तर : लोरमी विकासखण्ड, बेलगहना परिक्षेत्र एवं कोरबा जिला की सीमा.	उत्तर : म. प्र. राज्य की सीमा, लमनी (सा.) परिक्षेत्र, बेलगहना परिक्षेत्र की सीमा एवं कोरबा.
					(2) कोटा (कोटा)	पूर्व : कोरबा एवं जांजगीर-चांपा जिले की सीमा.	पूर्व : जिला कोरबा एवं जांजगीर-चांपा की सीमा.
					(3) रतनपुर (रतनपुर)	दक्षिण : शिवनाथ नदी एवं दुर्ग जिले की सीमा	दक्षिण : शिवनाथ नदी एवं दुर्ग जिले की सीमा.
					(4) विक्रय डिपो (कोटा)	पश्चिम : मुंगेली एवं लोरमी विकासखण्ड की सीमा.	पश्चिम : कवर्धा जिले की सीमा
			(2) लोरमी, मुख्यालय-लोरमी	480.516	(1) लोरमी (लोरमी)	उत्तर : म. प्र. राज्य एवं अचानकमार अभ्या. की सीमा.	
					(2) खुड़िया (खुड़िया)	पूर्व : अचानकमार अभ्या., कोटा एवं तखतपुर विकासखण्ड की सीमा.	
						दक्षिण : दुर्ग जिले की सीमा	
						पश्चिम : कवर्धा जिले की सीमा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(3) अचानकमार, अभ्यारण्य मुख्यालय-कोटा	551.552	(1) अचानकमार अभ्या. (कोटा) (2) गेम रेंज अभ्या. (अचानकमार) (3) लमनी अभ्या. (लमनी)	म. प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक - 20649-966, दि. 10-02-75, दि. 28 जून 1975 के अनुसार अधिसूचित सीमायें.	
बिलासपुर वनमंडल का योग				**1513.193**			
बिलासपुर	बिलासपुर	मरवाही, मुख्यालय-पेण्ड्रारोड.	(1) बेलगहना, मुख्यालय-कोटा	677.918	(1) बेलगहना (बेलगहना) (2) लमनी (सा.) (लमनी) (3) खोड़ी (खोड़ी)	उत्तर : गौरेला विकासखण्ड की सीमा एवं गौरेला तथा पेण्ड्रा परिक्षेत्र की सीमा. पूर्व : कोरबा जिले की सीमा दक्षिण : रतनपुर एवं कोटा परिक्षेत्र की सीमा पश्चिम : लोरमी विकासखण्ड की सीमा एवं अचानकमार अभ्या. की सीमा.	उत्तर : म. प्र. राज्य एवं कोरिया जिला की सीमा. पूर्व : कोरबा जिले की सीमा दक्षिण : रतनपुर एवं कोटा परिक्षेत्र की सीमा तथा अचानकमार अभ्या. की सीमा. पश्चिम : म. प्र. राज्य की सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(2) पेण्ड्रा, मुख्यालय-पेण्ड्रारोड	796.449	(1) मरवाही (मरवाही)	उत्तर : म. प्र. राज्य एवं कोरिया जिले की सीमा ,	
					(2) पेण्ड्रा (पेण्ड्रारोड)	पूर्व : कोरबा जिला की सीमा	
					(3) गौरेला (गौरेला)	दक्षिण : रतनपुर एवं कोटा परिक्षेत्र तथा अचानकमार अभ्या. की सीमा.	
					(4) काष्ठागार (मढ़ना)	पश्चिम : लोरमी विकासखण्ड एवं म. प्र. राज्य की सीमा.	
मरवाही वनमंडल का योग				**1474.367**			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, विशेष सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक 2012/तक-558/टीसी/08.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम ,1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 96 द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है, और एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, (परिवहन) छत्तीसगढ़ राज्य शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर, कक्ष क्रमांक-384, के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में, प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 77 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) प्रत्येक मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र अथवा ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र, की यह शर्त होगी कि उक्त अनुज्ञा-पत्र, किसी एक समय में दो माह से अधिक के लिए निष्प्रयोग में नहीं रखा जावेगा, तथा उक्त अनुज्ञा-पत्र की वैधता के दौरान ऐसे निष्प्रयोग की कुल अवधि आठ माह से अधिक नहीं होगी. यदि वाहन में तकनीकी खराबी अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, अनुज्ञा-पत्र दो माह से अधिक के लिए निष्प्रयोग में रखा जाता है, अथवा अन्य कारणों से, अनुज्ञा-पत्र से आच्छादित वाहन दो माह से अधिक के लिए संचालित नहीं है तो अनुज्ञापत्रधारी को समान विशिष्टियों की वाहन से प्रतिस्थापन करना होगा, या अनुज्ञा-पत्र को निरस्तीकरण हेतु अनुज्ञा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के समक्ष समर्पित करना होगा."

No. 2012/Tech-558/TC/08.—The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours by the office of Principal Secretary (Transport) of Government of Chhattisgarh State, Room 384, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

After sub-rule (1) of rule 77, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1-A) It shall be condition of every stage carriage permit or contract carriage permit that the said permit shall not be kept in non use for more than two months at a time and during the validity of said permit, the total duration of such non use shall not be more than eight months. Due to technical break down or accident of vehicle, if the permit is kept in non use for more than two months or for other reasons, if the vehicle of the permit is not operated for more than two months than the permit-holder shall have to replace the vehicle of same specifications or the permit shall be surrended for cancellation before the authority granting the permit."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक/107/अ. वि. अ./भू-अर्जन/07 अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	झिटकी प. ह. नं. 112/59	0.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	अपर जोंक परियोजना के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक/108/अ. वि. अ./भू-अर्जन/06 अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	धनसुली प. ह. नं. 131	1.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	धनसुली जलाशय का डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 29 जुलाई 2008

क्रमांक 9402/भू-अर्जन/कोरिया/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खडगंवा	कोडांगी	0.94	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधनं संभाग, बैकुण्ठपुर.	कोडांगी व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगंवा/चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 29 जुलाई 2008

क्रमांक 9402/भू-अर्जन/कोरिया/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खडगंवा	पोडीडीह	0.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	कोडांगी व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगंवा/चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 जुलाई 2008

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	शंकरगढ़	दुर्गापुर	0.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.).	दुर्गापुर व्यपवर्तन सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 जुलाई 2008

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-शंकरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दुर्गापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
163/1	0.04
163/2	0.04
163/3	0.04
115	0.08
116	0.04

	(1)	(2)
	176/1	0.13
	160/1	0.02
	164	0.05
	167	0.04
	177	0.01
	364	0.04
	367	0.01
	378	0.01
	379	0.03
	335	0.08
	333	0.01
	329/1	0.02
	334	0.06
	366	0.05
	188/2	0.02
	188/1	0.02
	189	0.02
	213/1	0.04
योग	23	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुर्गापुर व्यपवर्तन सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक/109/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04-अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बेलटुकरी, प. ह. नं. 84
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	518	0.04
	517	0.05
	514	0.05
	516	0.06
	525	0.05
	526	0.06
	527	0.05
	504	0.08
	505	0.02
	501/1	0.05
	501/2	0.04
	416	0.06
	415	0.06
	406	0.10
	401	0.04
	398	0.05
	397	0.04
	396	0.01
	278	0.06
	369	0.02
	288	0.08
	289	0.08
	367	0.06
	366	0.03
	364	0.02
	365	0.08
योग	26	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोडार जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 30 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-डंगनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-134.001 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
518/5	0.518
518/7	0.113
415	0.765
645	0.344
651	0.174
665	0.198
700	0.255
794/3	0.809
522	0.587
667/1	0.239
668	0.012
165	0.040
474	0.279
497/5	0.680
490	0.202
706	0.231
728/1	0.073
398/3	0.243
399/3	0.013
313/2	0.202
333/2	0.065
543/3	0.065
547/3	0.077
157	0.125
160	0.012
591	0.785
502/1	0.117
646	0.061
647/2	0.028
725	0.138
732	0.049
158	0.425
405	0.202
482/2	0.040
483/1	0.204
486/4	0.198
484	0.129
358	0.142
376/1	0.162
380	0.628
479/2	0.170
168/3	0.729
494	0.073
495	0.486
413	0.121
448/1	0.425
461/2	0.563
463	1.335
467	0.101
500/1	0.510
500/2	0.243
629/1	0.198
633	0.016
695/1	0.137
710	0.125
697	0.097
477	0.579
717	0.069
718/1	0.202
726/1	0.142
718/2	0.008
720	0.028
722/3	0.048
724/1	0.049
730	0.113
731	0.360

(1)	(2)	(1)	(2)
738	0.028	406/2	0.032
741	0.045	412/2	0.081
742	0.049	416	0.485
744	0.049	446/2	0.166
751/1	0.975	486/2	0.405
756/1	0.546	531/2	0.113
491	0.117	545/2	0.162
492	0.045	404	0.024
493	0.429	488	0.498
550/2	0.049	489	0.008
562/1	0.202	526	0.851
562/2	0.563	604/1	0.243
161/1	0.004	497/1	0.020
162/1	0.413	480	0.138
163/1	0.436	481	0.162
164/1	0.214	508	0.405
378/3	0.121	511	0.344
400/1	0.004	518/3	0.486
402/1	0.097	518/6	0.121
403/1	0.065	518/8	0.154
406/1	0.028	517/2	0.202
401	0.077	518/2	0.235
446	0.732	518/4	0.121
456/2	0.121	501/2	0.053
456/3	0.101	503/2	0.197
525	0.676	505	0.129
527	0.304	506	0.170
528	0.065	507	0.336
531	0.283	512/2	0.482
544	0.648	513	0.077
592/2	0.049	449	0.210
618	0.182	534	0.282
638/1	0.308	501/1	0.073
701	0.656	510/1	0.405
161/2	0.084	503/1	0.197
162/2	0.198	574/2	0.405
163/2	0.012	705/1	0.162
164/2	0.214	709/2	0.380
362/5	0.065	574/1 ख	0.210
366/3	0.121	705/2 ख	0.081
378/4	0.016	702/1	0.231
392/2	0.049	729/2	0.231
392/3 ख	0.113	602	0.142
400/2	0.008	745	0.125
402/2	0.093	472	0.020
403/2	0.040	471	0.166

(1)	(2)
466	0.069
470	0.324
502	0.081
529	0.117
459	0.182
538	0.316
469	0.053
520	0.458
561	1.477
551	0.223
411/3	0.097
410/3	0.012
412/3	0.040
457/1 ग	0.093
556/2	0.175
558	0.081
496	0.445
707	0.032
641	0.073
675	0.789
677	0.028
679	0.138
681	0.243
714	0.024
770	0.061
746	0.012
747	0.425
752/2	0.570
760	0.188
762	0.320
763	0.235
769	0.142
771	0.061
775	0.587
773	0.040
776	0.364
777	0.077
778	0.032
560/2	0.073
563	0.093
580/4	0.061
582	0.482
583	0.040
584	0.045
609	0.324
610	0.152
661	0.129
632/2	0.170
698/2	0.223
703	0.065
715/1	0.150
716/1	0.028
767/1	0.024
734/3	0.073
739	0.061
740	0.140
748/2	0.101
749/2	0.429
442/2	0.263
444	0.202
464	0.380
465	0.016
728/1	0.254
461/1	0.405
462/2	0.081
462/4	0.231
530	0.020
532	0.283
706	0.304
629/2	0.097
630	0.206
631	0.210
632	0.032
573/3	0.797
552/2	0.016
552/3	0.049
557/2	0.049
645	0.053
729/1	0.049
532/3	0.081
539	0.121
586	0.097
587	0.372
728/2	0.069
497/2, 570/2	0.077
559/3	0.024
318	0.016
333/2 क	0.069
398	0.348
399/1	0.016
542	0.040
543/1	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
545/1	0.251	698/1	0.223
547/1	0.085	662/1	0.251
548/2	0.129	715/2	0.146
410/4	0.012	716/2	0.028
411/4	0.093	736/2	0.020
412/3	0.040	770/1	0.173
429	0.024	748/1	0.121
433/2	0.113	635	0.024
430/4	0.360	734/2	0.073
552/3	0.061	736/2	0.182
554/4	0.157	517/3, 517/5	1.535
557/1 ख	0.093	517/4	2.281
572	0.012	300	0.045
573/1	0.797	299/1	0.652
620	0.016	305/1	0.101
629/3	0.081	306	0.016
708	0.142	307	0.036
667/7	0.101	308/1	0.890
711	0.061	309/	0.243
712	0.008	359/1	0.405
719	0.057	358/2	0.049
311	0.202	358/1	0.065
524	0.324	361	0.121
674	0.632	362/2	0.073
678	0.150	696/1	0.089
733	0.109	279	0.162
750	0.146	301/1	0.218
784	0.053	497/4	0.494
785	0.089	523/2	0.332
786	0.749	537	0.073
789	0.516	538/3	0.316
585/2	0.024	556/1	0.808
577/1	0.324	377	0.081
578	0.170	438	0.429
580	0.129	439	0.040
581	0.020	440	0.384
594	0.023	604/2	0.105
595	0.162	751/2	0.182
596	0.012	751/3	0.182
605	0.368	565	0.040
559/5	0.016	575/3	0.174
636/1	0.178	275/2	0.105
637/1	0.016	299/2	0.749
606	0.125	305/2	0.101
607	0.283	359/2	0.304
608	0.050	382/2	0.061

(1)	(2)
383	0.024
385	0.162
387	0.162
304	0.247
306/2	0.129
301/2	0.308
384	0.154
568/4	0.105
588	0.024
589	0.166
576/1	0.061
590/2	0.289
576/2	0.068
590/1	0.304
330	0.004
331	0.012
332	0.198
362/3	0.049
381	0.304
362/4	0.275
373/1	0.186
362/10	0.121
366/2	0.056
643	0.024
781	0.283
790	0.174
628/1	0.263
628/2	0.020
312	0.202
353	0.052
356	0.243
358	0.405
388	0.040
390	0.028
391	0.737
393/4	0.081
393/3	0.210
392	0.194
408	0.648
417	0.012
436	0.057
427	0.437
428	0.157
418	0.729
433/4	0.040
207	0.307
322	0.065
323	0.146
324	0.049
334	0.198
347	0.028
642/1	0.022
780/1	0.077
789/1	0.040
756/1	0.101
757/1	0.174
762/1	0.154
766	0.101
503/1	0.186
596/2	0.028
611/1	0.012
612/1	0.053
613/1	0.202
557/1 क	0.093
218/1	0.089
410/1	0.012
411/1	0.093
412/3	0.040
462/3	0.304
680	0.210
461/2	0.348
178/2	0.293
456/1	0.223
421	0.340
424	0.364
425	0.036
497	0.362
600	0.243
161/3	0.004
162/3	0.198
164/3	0.219
365/3	0.117
400/3	0.008
402/3	0.093
403/3	0.040
406/3	0.040
472/3	0.113
476/3	0.101
525/2	0.251
528/3	0.081
527/3	0.101
531/3	0.109

(1)	(2)
544/3	0.269
412/2	0.254
422	0.202
426	0.142
757/5	0.607
654	0.020
389	0.231
441	0.121
442/1	0.182
621	0.057
622	0.155
624	0.077
644	0.113
647/1	0.032
653	0.146
656	0.251
657	0.093
682	0.239
664	0.170
691	0.085
692	0.033
752/1	0.223
752/2	0.971
774	0.194
723	0.223
210	0.967
212	0.020
319/1	0.162
328	0.040
342	0.194
348	0.405
372	0.008
373/2	0.458
374	0.024
398/2	0.243
399/2	0.012
333/2 ख	0.065
351	0.065
355	0.027
540	0.049
443/2	0.065
547/2	0.077
393/1	0.405
434/2	0.809
396	0.129
756	0.101

(1)	(2)
642/2	0.093
757/2	0.248
780/2	0.077
789/2	0.040
275/4	0.036
227/1	0.065
367	0.061
320/1	0.445
209/1	0.336
407/1	0.518
407/2	0.291
313/1	1.072
315	0.012
316	0.028
437/2	0.057
564	0.324
566/1	0.275
751/4	0.073
753/3	0.534
344/1	0.105
275/1	0.036
297/5 क	0.081
619	0.526
517/9	0.809
419	0.202
420/3	0.223
420/1	0.243
423/10	1.011
168/6	0.247
483/2	0.376
484	0.129
686/3	0.166
437/1	0.769
546	0.498
319/2	0.405
320/2	0.445
578/2	0.081
570/2	0.081
517/7	0.162
517/8	0.162
497/5	0.081
559/9	0.024
625	0.162
800/4	0.040
682/1	0.405
576/2	0.065

(1)	(2)
590/2	0.304
518/13	0.749
518/12	0.930
812/2	0.049
433/6	1.011
593/2	0.183
611/2	0.045
612/2	0.053
613/2	0.202
482/1	0.202
486/2	0.045
487	0.567
433/9	0.607
497/1	0.487
456/3	0.223
562/3	1.052
640	0.036
410/2	0.012
411/2	0.023
412/3 ख	0.040
430/2	0.324
457/1 ख	0.093
376/2	0.049
379	0.162
518/10	1.011
344/2	0.154
275/3	0.036
765/2	0.202
642/3	0.093
757/3	0.134
759	0.028
757/4	0.174
780/3	0.077
789/3	0.040
756/4	0.101
742/2	0.263
443	0.202
504	0.510
642/2	0.093
757/2	0.248
720/2	0.248
789/2	0.040
756/3	0.101
425/4	1.214
673/3	0.040
577/2	0.223
599/6	0.849
791/1	0.008
186/2	0.732
378/4	0.016
499	0.340
173/2	0.105
367/3	0.162
471/2	0.170
643/4	0.093
780/4	0.162
789/4	0.040
756/5	0.101
448/2	0.101
462/1	0.251
603	0.017
751/7	0.263
754	0.045
755	0.045
430/2	0.202
753/1	0.607
751/6	0.607
497/8	0.243
209/1	0.113
308	0.117
314	0.316
788	0.065
योग 598	134.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

संशोधित आदेश

क्रमांक-एफ/134/न. पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2008/1101.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20 (2) (क), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकित नगरपालिकाओं (नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) के उप-निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	21, 22	04-08-08 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	22 "क"	04-08-08 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	04-08-08 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से
2.	नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	11-08-08 सोमवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	12-08-08 मंगलवार प्रात: 10.30 बजे से
4.	अंभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	14-08-08 गुरुवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	31, 32	14-08-08 गुरुवार अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	26-08-08 मंगलवार प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
7.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	28-08-08 गुरुवार प्रात: 9.00 बजे से

आर. के. साहू,
उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th July 2008

No. 785/Confdl./2008/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Arvind Kumar Shrivastava, Member of Higher Judicial Service, presently posted as District & Sessions Judge, Bilaspur, is appointed as Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 29th July 2008

No. 787/Confdl./2008/II-2-1/2008.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Heera Singh Markam, Registrar General, High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Raipur	Raipur	District & Sessions Judge.
2.	Shri Sanman Singh, District & Sessions Judge.	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge.
3.	Shri P. K. Shrivastava, Judge, Family Court.	Manendra-garh.	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge.

By order of the Hon'ble High Court,
SANDEEP BUXY, Registrar (Vigilance).

Bilaspur, the 28th July 2008

No. 28/L.G./2008/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 04-08-2008 to 08-08-2008 and permission to prefix holiday of 03-08-2008 & suffix holidays of 09th & 10th August, 2008 along with the permission to leave headquarters from the evening of 2nd August, 2008 till the morning of 11th August, 2008.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 58 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.